



सेवा शुल्क पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

प्रलिस के लयः

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तराँ एसोसिएशन ऑफ इंडया, दलली उच्च न्यायालय, [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण](#)

मेन्स के लयः

सेवा शुल्क पर दलली उच्च न्यायालय का आदेश, सेवा शुल्क से संबंधत मुददे

[स्रोतः इंडयन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दलली उच्च न्यायालय ने एक अंतरम आदेश जारी कया है जसमें फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तराँ एसोसिएशन ऑफ इंडया (FHRAI) के सदस्यों को 'सेवा शुल्क (Service Charge)' शब्द के स्थान पर 'कर्मचारी योगदान (Staff Contribution)' का उपयोग करने का नरदेश दया गया है और यह भी का चार्ज की जाने वाली राश कुल बल का 10% से अधिक नहीं होनी चाहयः।

मामलाः

■ पृष्ठभूमः

- यह आदेश नेशनल रेस्तराँ एसोसिएशन ऑफ इंडया (NHRAI) और FHRAI द्वारा दायर याचकियों को ध्यान में रखते हुए पारतः कया गया था, इन याचकियों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) द्वारा जारी जुलाई 2022 के दशा-नरदेशों को चुनौती दी गई थी। ये दशा-नरदेश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधनयम, 2019 की धारा 18(2)(1) के तहत जारी कयः गए थे।
- CCPA दशा-नरदेशों में कहा गया है कः उपभोक्ताओं से कसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लया जाना चाहयः और येशुल्क वैकल्पकः एवं स्वैच्छकः होने चाहयः।
- उनके पास वकिलप होना चाहयः कः बल से सेवा शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकें।
 - ई-दाखलः पोर्टल के माध्यम से कसी प्रकार के अनुचतः व्यापार प्रथाओं के खलाफशकयत शीघ्र नवारण अथवा अन्य उददेश्यों के लयः उपभोक्ता आयोग के पास इलेक्ट्रॉनकः रूप से भी दर्ज की जा सकती है।
- इन दशा-नरदेशों में उपभोक्ताओं को सूचतः कयः बना बल में स्वचालतः रूप से सेवा शुल्क जोड़ने या शामिल करने पर भी रोक लगा दी गई है।
- ये दशा-नरदेश उपभोक्ताओं की शकयतों के जवाब में पेश कयः गए थे, क्योंकि कई रेस्तराँ और होटल स्पष्ट रूप से यह बताए बना कः भुगतान स्वैच्छकः था, सेवा शुल्क लगा रहे थे।
- CCPA द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधनयम, 2019 की धारा 18(2)(1) के तहत दशा-नरदेश जारी कयः गए थे।

नोटः अधनयम की धारा 18(2)(1) के तहत CCPA ने होटल और रेस्तराँ पर सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचतः व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता हतः की सुरक्षा के लयः दशा-नरदेश जारी कयः हैं।

■ न्यायालय का प्रारंभकः स्थगनः

- जुलाई 2022 में दलली उच्च न्यायालय ने CCPA दशा-नरदेशों पर इस शरत के अधीन रोक लगा दी थी कः एसोसिएशन मेनू या अन्य जगहों पर सेवा शुल्क का स्पष्ट प्रदर्शन सुनश्चतः करें, साथ ही ग्राहकों को इसे भुगतान करने के दायतः के वषयः में सूचतः करें।
- शुरुआत में इस पर सटे अवधा को बढ़ा दया गया था।

■ न्यायालय द्वारा वकसतः नरदेशः

- अप्रैल 2023 में न्यायालय ने स्पष्ट कया कः अंतरम आदेश से उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कया जाना चाहयः। न्यायालय ने भ्रम को

रोकने के लिये "सेवा शुल्क" हेतु वैकल्पिक शब्दावली तलाशने का भी सुझाव दिया।

- न्यायालय ने **याचिकाकर्ताओं को यह सूचना देने** का आदेश दिया कि उनके कतिने प्रतशित सदस्यों ने अनविरय रूप से सेवा शुल्क लगाया है और क्या इसका नाम बदलने पर कोई आपत्ति है।

■ न्यायालय का हालिया नरिणयः

- FHRAI ने **"सेवा शुल्क" का नाम बदलकर "कर्मचारी योगदान"** करने की इच्छा व्यक्त की। हालाँकि NRAI ने पछिले नरिणयों और इस तथ्य का हवाला देते हुए इस बदलाव का वरिोध कथिा कि उसके सदस्यों के एक महत्त्वपूर्ण प्रतशित ने सेवा शुल्क लगाया था।
- न्यायालय ने सेवा शुल्क लगाने के संबंघ में FHRAI की सदस्यता में एकरूपता की कमी पर ध्यान दिया।
- परणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने FHRAI सदस्यों को 'कर्मचारी योगदान' शब्द को अपनाने और इसे कुल बलि राशिका 10% तक सीमति करने का नरिदेश दिया।

■ 2017 दशिा-नरिदेशों से संबंघः

- वर्ष 2022 के सेवा शुल्क दशिा-नरिदेशों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 2017 के दशिा-नरिदेशों के पूरक के रूप में कार्य करना था, न कि इसे प्रतस्थापति करना था। वर्ष 2017 के इन दशिा-नरिदेशों ने अनुचति व्यापार प्रथाओं के वषिय में चतिाओं को संबोधति करते हुए ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना होटल और रेस्तराँ द्वारा सेवा शुल्क लगाए जाने पर रोक लगा दी थी।
- नषिकरषतः **10% की सीमा के साथ 'सेवा शुल्क' का नाम बदलकर 'कर्मचारी योगदान' करने का दलिली उच्च न्यायालय का हालिया नरिणय** उद्योग संघों और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण वकिस का प्रतनिधितिव करता है।
 - यह मामला भारत के उपभोक्ता संरक्षण नयिमें के अनुरूप रेस्तराँ बलिगि प्रथाओं में पारदर्शति और उपभोक्ता की पसंद के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

नोटः

- FHRAI, आतथिय उद्योग का प्रतनिधितिव करने वाले चार कषेत्रीय संघों का सर्वोच्च नकिय है।
- नेशनल रेस्तराँ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) भारतीय रेस्तराँ उद्योग की आवाज़ है। वर्ष 1982 में स्थापति NRAI भारतीय खाद्य सेवा कषेत्र को बढावा देने और मज़बूत करने की इच्छा रखता है।

सेवा शुल्कः

■ परचियः

- सेवा शुल्क एक ऐसा शुल्क है जो कभी-कभी व्यवसायों द्वारा बलि या चालान में जोड़ा जाता है, वषिय रूप से रेस्तराँ, होटल और बैंकवेट हॉल जैसे आतथिय उद्योग में।
- इसका उद्देश्य वेटरस, सर्वर और अन्य सेवा कर्मयिों सहति कर्मचारयिों द्वारा प्रदान की गई सेवा की लागत को कवर करना है।
- इसे ग्राहक सेवा शुल्क या रखरखाव शुल्क भी कहा जा सकता है।
 - रेस्तराँ तथा होटल आमतौर पर खाने के बलि पर 10% सेवा शुल्क लगाते हैं।

■ समस्यारूँः

- **पारदर्शति की कमीः** सेवा शुल्क के संदर्भ में प्राथमकि मुद्दों में से एक पारदर्शति की कमी है। ग्राहकों को अक्सर बलि प्राप्त होने तक सेवा शुल्क शामिल करने के बारे में सूचति नहीं कथिा जाता है। अग्रमि जानकारी के अभाव के कारण भ्रम तथा असंतोष पैदा हो सकता है।
- **अनविरय प्रकृतिः** कई मामलों में सेवा शुल्क अनविरय होते हैं, जसिका अरथ है कि ग्राहकों को उन्हें प्राप्त सेवा की गुणवत्ता की परवाह कथि बिना भुगतान करना पड़ता है। यह अनविरय पहलूसमस्यारूँ हो सकता है खासकर यदसेवा, ग्राहक की अपेक्षाओं से नमिन है।
- **सेवा की गुणवत्ताः** चूँकि सेवा शुल्क कर्मचारयिों को अतरिकित आय की गारंटी देता है, इसलियि यह असाधारण सेवा प्रदान करने के लयि सेवा कर्मयिों के प्रोत्साहन को कम कर सकता है। इससे संतुषट मिलि सकती है लेकनि सेवा की समग्र गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
- **वविशताः** ग्राहक सेवा शुल्क का भुगतान करने के लयि मजबूरी अथवा दबाव महसूस कर सकते हैं, भले ही वे सेवा से असंतुषट हों। इस बाध्यता के परणामस्वरूप ग्राहक को असुवधि तथा असंतोष हो सकता है।

सीसीपीए (CCPA):

- इसकी स्थापना वर्ष 2019 के **उपभोक्ता संरक्षण अधनियि (CPA)** के तहत की गई थी।
- इसे **उपभोक्ता अधिकारिों के दुरुपयोग, अनुचति व्यापार प्रथाओं** तथा जनता के हति के लयि हानिकारक झूठी अथवा भ्रामक मार्केटगि को वनियिमति करने का अधिकार है।
- इसके पास **CPA, 2019 की धारा 18** के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारिों की सुरक्षा, प्रचार और सबसे महत्त्वपूर्ण करिका करने एवं अधनियिम के तहत उनके अधिकारिों के उल्लंघन को रोकने का अधिकार है।
- इसके अलावा यह उपभोक्ता अधिकारिों को बढावा देता है और यह सुनश्चिति करता है कि कोई भी व्यक्ती अनुचति व्यापार प्रथाओं में संलग्न न हो तथा इसे उपभोक्ताओं के अधिकारिों को लागू करने के लयि दशिा-नरिदेश जारी करने का भी अधिकार है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delhi-high-court-orders-on-service-charge>

